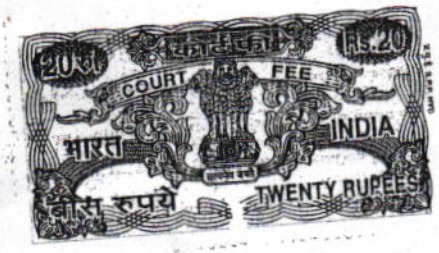

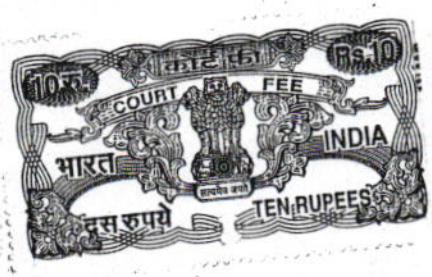

11

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग-2625-II/16

प्रकरण क्रमांक /2016 पुनरीक्षण

प्रदीप पुत्र ऋषभ कुमार जैन

निवासी ग्राम–मुंगावली

जिला–अशोकनगर

विरूद्ध

म.प्र.शासन द्वारा प.ह.न.64

ग्राम–भोपाल तहसील–मुंगावली

जिला–अशोकनगर

दिनांक 5-8-16 को श्री मुकेश [illegible] अभि. द्वारा प्रस्तुत।

5-8-16

राजस्व निरीक्षक वृत्त–3 तहसील मुंगावली जिला–अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 136/अ–12/2015–16 में की गयी कार्यवाहीं एवं पारित आदेश दिनांक 10–06–2016 के विरूद्ध पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नानुसार पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है–

5/8/2016

1. यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा की गयी सीमांकन की कार्यवाहीं दिनांक 10–06–2016 को पारित किया गया आदेश अवैध एवं मनमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है.

2. यह कि, आवेदक ने संहिता की धारा–129 के अंतर्गत दिनांक 31–03–2016 को अपनी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 333/4/4 क्षेत्रफल 0.836 हैक्टेयर (चार बीघा) स्थित ग्राम भोपाल तहसील–मुंगावली के सीमांकन हेतु आवेदन दिया था जिस पर राजस्व निरीक्षक ने अचानक दिनांक 10–06–2016 को आवेदक को बुलाकर जो सीमांकन की कार्यवाहीं की है वह नितांत मनमानी का परिणाम है सीमांकन में आवेदक का क्षेत्रफल घटाकर 3 बीघा पर सीमा चिन्हों के रूप में गढ्ढे बना दिये गये जो कि पूर्णतः अवैध कार्यवाहीं है.

3. यह कि, आवेदक की भूमि का सीमांकन 10–06–2016 को किया गया आवेदक ने जब अपनी भूमि की पुरानी सीमायें देखी तब दिनांक 11–06–2016 को अर्थात सीमांकन के दूसरे दिन राजस्व निरीक्षक के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया जिसे लेने से मना करने पर आवेदक ने डाक द्वारा अपना आवेदन प्रेषित किया जिसे दिनांक 24/06/2016 को आवेदक को बुलाये बिना यह कारण दर्शाते हुये निरस्त कर दिया कि सीमांकन हो चुका है आवेदक को सुनवायी का अवसर दिये बिना आपत्ति को निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं था.

4. यह कि, आवेदक अपनी भूमि सर्वे क्रमांक–333/4/4 का वर्ष 1957 का एवं वर्तमान स्थिति का नक्शा प्रस्तुत कर रहा है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक की भूमि की सीमाओं को

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

जिला अशोकनगर

प्रकरण कमांक निगरानी 2625–दो / 2016

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकर्रो एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
06–9–2016	आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार मुंगावली जिला अशोकनगर के प्र. क. 136 / अ–12 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 10–6–16 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2 / आवेदक अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध आदेश की प्रति एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया। आवेदक अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप तर्क दिया कि आवेदक द्वारा अपनी भूमि के संबंध में सीमांकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 10–6–16 को राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये सीमांकन से अंसतुष्ट होकर दिनांक 11–6–16 को तहसीलदार के समक्ष उक्त सीमांकन को निरस्त करने के आपत्ति प्रस्तुत की गई थी जिसपर तहसीलदार द्वारा बिना कोई निर्णय लिये आदेश पारित करने में त्रुटि की है। यह भी तर्क दिया किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक की 4 बीघा भूमि के स्थान में 3 बीघा भूमि की माप कर शासकीय सड़क को भी कर सीमांकन कर दिया तथा आबेदक की भूमि को कम कर दिया। यद्यपि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129. सर्वेक्षण संख्यांक या उपखंड या भू–खंड संख्यांक का सीमांकन– (1) तहसीलदार या कोई अन्य राजस्व अधिकारी जो कार्य करने के लिए सशक्त हो, किसी हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर किसी सर्वेक्षण संख्यांक की या उपखंड या भू–खंड संख्यांक की सीमाओं का सीमांकन कर सकेगा और उस पर सीमा चिन्ह सन्निर्मित कर सकेगा। 2006 आर एन 218 गजराज सिंह विरूद्ध रामसिंह (उच्च न्यायालय) में निम्नलिखित न्यायदृष्टांत प्रतिपादित किये गये हैं–	

''म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129 – सीमांकन– विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई–– निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई––कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया––एक–भी साक्षी नामित नहीं––पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई––ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

माननीय उच्च न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायदृष्टांतों के प्रकाश में यह निर्विवादित है कि सीमांकन हेतु प्राप्त आवेदन पर निम्नानुसार प्रकिया अपनाई जाना न्यायसंगत होगा–

1. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकार की भूमि का नक्शा प्राप्त करना,

2. सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों / हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना,

यहां यह भी प्रासांगिक है कि हितबद्ध पक्षकार से आशय ऐसे व्यक्ति से होगा, 'जैसा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2016 आर एन 185 बाबा ज्ञानदास विरूद्ध तहसीलदार श्योपुर तथा एक अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है–

'' भू– राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)– धारा 129– उपबंध के अधीन कार्यवाही – से अभिप्रेत – भूमिस्वामी या कोई व्यक्ति जो भूमि में विधिक अधिकार रखता है – हितबद्ध व्यक्ति है – व्यक्ति जो मात्र कब्जा होने का दावा करता है – हितबद्ध पक्षकार होना नहीं माना जा सकता – ऐसे व्यक्ति को सीमांकन कार्यवाहितयों में आपत्ति करने का अधिकार नहीं।

3. सीमांकन के समय स्थल पंचनामा पर सरहदी काश्तकारों एवं गवाहों के स्पष्ट हस्ताक्षर नाम सहित,

4. रूढिवादी सीमांकन पद्धति (जरीब द्वारा) के अतिरिक्त सेटेलाईट से उपलब्धता के आधार पर विधिवत सीमांकित भूमि की माप कर सीमांए समझाना,

5. सीमांकन पश्चात फील्डबुक तैयार करना,

6. सीमांकन के समय यदि कोई आपत्ति प्राप्त हुई हो तो उसका मौके पर निराकरण करना,

7. सीमांकन में यदि कोई आपत्ति प्राप्त न हुई हो तो विधिवत सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना,

8. सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उक्त सीमांकन प्रतिवेदन पर तहसीलदार द्वारा एक अवसर सहमति/आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से हितबद्ध पक्षकारों को प्रदान करते हुये उसका विश्लेषण कर, विधिवत सीमांकन का अंतिम आदेश पारित करना।

2014 आर एन 69 बद्री प्रसाद विरूद्ध रामप्रसाद जाटव में राजस्व मण्डल द्वारा यही अभिमत व्यक्ति किया है कि सटे हुए कृषकों को सूचना के साथ–साथ सीमांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रतिकूल रूप से प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।

स्पष्ट है कि तहसीलदार ने आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष उठाई गई आपत्ति को विचार क्षेत्र में न लेकर सीमांकन की पुष्टि करने में अवैधानिकता की गई है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर तहसीलदार मुंगावली का सीमांकन आदेश दिनांक 10–6–16 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्तानुसार सीमांकन प्रकिया का पालन करते हुये आवेदक की भूमि का सीमांकन करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य